Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol. VIII, Issue III September 2022

बच्चों के मौलिक अधिकारों का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. रमेश सिंह कुशवाह

सारांश

बच्चे ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है जो मासूम प्रकृति के होते हैं तथा उनमें छलकपट, मायाचारी एवं दोष का अभाव होता है। बच्चों के लिये जन्म से ही कानून में विशेष प्रावधान किये गये है। बच्चे राष्ट्र की अमूल धरोहर है, समाज का भविष्य बच्चों में निहित रहता है। बालकों के लिये स्वस्थ जीवन, शिक्षा एवं विकास के मौलिक अधिकारों का भली-भांति क्रियान्वयन करना समय की मांग है। वर्तमान में बच्चों के मौलिक अधिकारों का पालन ठीक तरह से न होने के कारण उनका शोषण हो रहा है। बालकों के शोषण को रोकने के लिये गम्भीर प्रयास करने की जरूरत है। यद्यपि बच्चों के विकास के लिये कई प्रकार के विशेष कार्यक्रम और योजनायें लागू की गई है। लेकिन इनका क्रियान्वयन ठीक तरह से न होने के कारण बालकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

बीजशब्द:- बच्चे, विकास, अधिकार

प्रस्तावना

बच्चों के सर्वांगींण विकास के लिए हमारे संविधान में विशेष उपबन्ध किये गये है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 (3) बालकों के लिए विशेष उपबन्ध बनाये जाने का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि बालकों के लिए पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। छियासीवां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21 (क) द्वारा 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया है। एवं संवैधानिक प्रावधान किये गये है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इस बात का उल्लेख है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर तथा अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से मुक्त करने एवं नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करने का सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 15 (3) और 49 (स) एवं (फ) के अधीन बालकों के कल्याण के लिए कार्य करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है।

भारतीय दण्ड सहिता की धारा 82 में 7 वर्ष से कम आयु के बालक के कार्य को अपराध नहीं माना गया है, तथा धारा 83 में इस बात का उल्लेख है कि 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे की यदि समझ परिपक्व नहीं हुई है तथा वह कार्य की प्रकृति और परिणामों का निर्णय करने में सक्षम नहीं है तो वह भी अपराधी नहीं माना गया है। बालकों के लिए अनेक प्रकार के कानूनी उपबन्ध इस उददेश्य से किये गये है कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इतने अधिक कानूनी संरक्षण होने के बावजूद भी इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बालकों में अपराधों की प्रवृति पनप रहीं है तथा बालकों के साथ भी अमानवीय व्यवहार की घटनाऐं देखने को मिल रही है। बालकों को संकटपूर्ण कार्यो में लगाकर बालश्रम कराया जाता है।

महत्वपूर्ण वाद

एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकारों को यह निर्देश दिया है कि बालश्रम को तत्काल समाप्त कर उनके पुनर्वास और कल्याण की व्यवस्था करे। न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया कि बालकों को किसी भी कारखाने या खान में संकटपूर्ण कार्य में नियुक्त नहीं किया जाये।

शीला वारसे बनाम भारत संघ के मामले में याचिकाकर्ता ने देश के विभिन्न भागों में जाकर 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों की दशा का पता लगाने में करीब 1 लाख रूपये व्यय किये। माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को जो एक सामान्य कार्यकार्ता भी 1 लाख रुपये का भुगतान करे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि विभिन्न राज्यों द्वारा पारित किये गये बाल अधिनियमों को कठोरता से लागू किया जाये। बच्चों के मामलों में न्यायिक सक्रियता होने के बावजूद भी आज अनेक देशो में अवैध बाल व्यापार का कार्य जोंरों पर है। प्रतिवर्ष लाखों बच्चों की खरीद फरोख्त की जाती है। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उन्हें घर से वंचित कर बाहर भेजा जाता है और कई प्रकार के अनैतिक और अपराधिक कार्यो को करने के लिए उन्हें मजबूत किया जाता है एवं उनके साथ बाल यौन शोषण किया जाता है जो कि एक गम्भीर चिंता का विषय है। बालकों की एक सबसे बडी समस्या कुपोषण और भूख की है। कुपोषण का कारण निर्धनता है कुपोषण होने से ऐसे बच्चों की मृत्यु दर बहुत अधिक है। कुपोषण से अनेक बच्चे मानसिक और शारीरिक विकलांग हो जाते है। हाल ही में हुये शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि भारत जैसे विकासशील देश में लगभग 30 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के कारण बीमारीयों की चपेट में आसानी से आ जाते है। यह एक विडम्वना है कि आजादी के 68 वर्षों के बाद भी बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। जबकि देश का विकास स्वस्थ्य बच्चे के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आज भी लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते है। स्कूल न जाने में बालिकाओं का प्रतिशत अधिक है, शिक्षा से बंचित बालक-बालिकायें अपना हित नहीं समझ पाते और लोगों द्वारा दुष्प्रेरित होकर अपराध की ओर उन्मुख हो जाते है। शिक्षा समाज की परम आवश्यकता है। इसी कारण इसे मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। शिक्षा से व्यक्ति का सर्वागींण विकास होता है तथा वह अपना हित अहित जानकर ऐसे कार्यों से विरत रहता है जो अपराध की श्रेणी में आते है। आज सरकारी स्कूलों में बालकों के लिए मध्यान्ह भोजन, स्कूल की ड्रेस, कॉपी किताबें इस उदेश्य से प्रदान की जाती हैं कि निर्धन बच्चे भी शिक्षा से वंचित न रह सकें। बालकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनायें और कार्यक्रम संचाालित किये जा रहे है जिससे वह स्कूल की ओर आर्कषित हो सके। बालकों के लिये सर्वशिक्षा अभियान भी चलाया गया है फिर भी इस क्षेत्र में आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है। आज शिक्षा को केवल मौलिक अधिकार बना देने से ही काम नहीं चलता है। इसके लिए शिक्षा में गुणवत्ता का होना भी आवश्यक है। वर्तमान में अनेकों स्कूलों के पास अपने निजी भवन नहीं है अच्छे पुस्तकालय की कमी है तथा खेल-कूद के साधन की उपलब्धता नहीं है। अध्यापक और विद्यार्थियों का उचित तालमेल का अभाव देखने को मिलता है। अध्यापक पढ़ाने में केवल औपचारिकता की पूर्ति मात्र कर रहे है। जिससे बालकों में निराशा की प्रवृति जागृत हो रही है किराये के भवन में स्कूल संचालित होने से यह दुष्परिणाम हो रहा है कि स्कूल का वातावरण घुटन भरा होने लगता है। ना तो स्कूलों में अच्छे बगीचे हैं और ना ही अच्छे खेल के मैदान है। फलस्वरूप बालक प्रतिदिन स्कूलों में नहीं जाते है और भगोड़ेपन की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। अनेकों माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल न भेजकर उन्हें काम पर लगा देते है। बच्चे कुसंगति में पढकर बाल अपराधी बन रहे है तथा वह चोरी, सैंधमारी, बिना टिकिट यात्रा करना, ट्रेनों मे भीख मांगना, जुआ खेलना, अश्लील हरकतें करना आदि अनेक अपराधों में संलग्न होकर अपने भविष्य के साथ खिलव कर रहे है। राजनैतिक लोग भी स्कूल कॉलेजों के छात्रों का दुरूपयोग अपने निजी स्वार्थो में कर रहे हैं। विद्यालयों तथा कॉलेज में हड़ताल, घेराव, हिंसा, तोड़फोड आदि अनेक दुष्कृत्य राजनैतिक प्रदूषण का ही परिणाम है, जो कि देश के लिये एक बहुत बड़ा अभियान है। बच्चों के मौलिक अधिकारों के हनन को

रोकने के लिये माता-पिता के दायित्व के साथ-साथ समाज और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिऐ।

संदर्भ-

1. भारतीय दण्ड संहिता - डॉ. सूर्यनारयण मिश्र
2. भारत का संविधान – डॉ. जयनारायण पाण्डे 39 वां संस्करण 2006
3. मध्यप्रदेश पी. एस. सी. - अपराध शास्त्र शम्मी भटनागर
4. प्रतियोगिता दर्पण - जनवरी-फरवरी 2007
5. भारतीय संविधान - डॉ. बंसतीलाल बाबेल
6. भारतीय दण्ड संहिता - एस. के. कपूर